

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267894  
SG-DL-E-21112025-267894असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                   |                            |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 355] | दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947  | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 334 |
| No. 355] | DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947 | [N. C. T. D. No. 334       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग  
(दिल्ली जल बोर्ड)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) (संशोधन) विनियम, 2012  
(2025 की संख्या 01)

फा.सं. शह. विका. के 01/6/2025/297565-1413.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्द्वारा दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2012 के विनियम संख्या 21 (ग) में आंशिक संशोधन करता है तथा आगे संशोधन करते हुए विनियम संख्या 21 (ग) में यथा उल्लिखित बकाया जल/सीवर बिल पर विलम्ब भुगतान अधिभार की दर को कम तथा संशोधित किया जाता है जो तत्काल प्रभाव से 5% के स्थान पर 2% होगी।

आदेश द्वारा,  
पुनीत कुमार पटेल, अपर सचिव

**DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT****(Delhi Jal Board)****NOTIFICATION**

Delhi, the 17th November, 2025

**Delhi Water & Sewer (Tariff and Metering) (Amendment) Regulations, 2012****(No. 01 of 2025)**

**F. No. UD-K01/6/2025/297565/1413.**—In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Delhi Water Board Act, 1998, the Board hereby makes partial amendment in Regulation No. 21(c) of the Delhi Water and Sewer (Tariff and Metering) Regulations, 2012 and further amends the rate of Late Payment Surcharge on the outstanding water/sewer bill, as mentioned in Regulation no. 21(c), is reduced and amended as 2% in place of 5% with immediate effect.

By Order,

PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy.